

order Sheet [Contd]

te of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where necessa

9000 159/2014 SPL ELE

परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से 12-11-16 सहायक यंत्री किनिष्ठ यंत्री किरानुरा सहित उनके अधिववता श्री विकास क्षेत्र उप0।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री श्रूजेन्ड असीएया उप0/ आरोपी अनुपरिथति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। अंा कि कि

उक्त परिवाद मामले में विद्यु विभाग की ओर से उकत कारांपालन यंत्री की और से सहायक यंत्री/किनष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल / मेगा लोक अदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया जा चुका है। अत्एव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी पक्ष को दोषमुक्त किया गया। आरोपी का अगर जमानती/गिरक्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखाग्रीर भेजा जावे।

उवन्ड्रमीट सदम्य देगा - 8A MORHODUTE डी०सी०थपलियाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0-13 खन्डपी सहस्य ५-२ एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम -8/ Frain diac गोहद ज़िला भिण्ड